<u>कृपया इस निर्देश पत्र को अवश्य पढ़े क्योंकि इसमें कुछ नए निर्देशों का समावेश किया गया है।</u>

महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांकः—रू.वि. / गोपनीय / 2020 / एफ—85 दिनांक 24.02.2020

सेवा में,

समस्त केन्द्राध्यक्ष,
सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय,
महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय,
बरेली।

महोदय / महोदया,

वर्ष 2020 की विश्वविद्यालयी वार्षिक परीक्षायें पूर्व निर्धारित परीक्षा कार्यक्रमानुसार प्रारम्भ हो रही हैं। परीक्षा सुचारू रूप से संचालित किए जाने हेतु निम्न बिन्दुओं पर ध्यान दें—

1. **उत्तरपुस्तिकाओं के बण्डल में उपस्थिति पत्र की सत्यापित छायाप्रति अवश्य रखी जाये।**
2. **पेपर रखने हेतु लॉकर की व्यवस्था होनी अनिवार्य है।**
3. **पेपर सी.सी.टी.वी. कैमरे के समक्ष ही खोले जायें।**
4. **पेपर खोले जाने से पूर्व तिथि / समय / पेपर कोड़ / पॉली / वर्ष इत्यादि से सन्तुष्ट होने के पश्चात ही अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।**
5. **उत्तरपुस्तिकाओं पर कक्ष निरीक्षक के सुस्पष्ट हस्ताक्षर होना आवश्यक है।**
6. **अनपुस्थिति का प्रोफार्मा महाविद्यालय की लागिन आई.डी. से ऑनलाइन अपलोड / डाउनलोड कर प्रत्येक दिन पॉलीवार प्रत्येक दशा में 04:00 बजे तक ऑनलाइन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।**
7. **सभी केन्द्राध्यक्ष यह सुनिश्चित कर लें कि उत्तरपुस्तिका के बण्डल बनाते समय अनुपस्थिति का स्टेटमेंट आवश्यक रूप से उत्तरपुस्तिकाओं बण्डल के साथ रखे जाय, तथा साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लें कि जो छात्र अनुपस्थित हैं उनके अनुक्रमांक स्टेटमेंट में अवश्य अंकित किये जायें।**
8. **प्रत्येक दशा में परीक्षा तिथि के दिन ही सम्बन्धित प्रश्नपत्र की उत्तरपुस्तिकायें सॉय 07:30 बजे तक स्वीकार की जायेंगी। देर से प्रेषित करने वाले केन्द्रों की उत्तरपुस्तिकायें देर से प्राप्त करने का कारण स्पष्ट करते हुए जमा की जायें।**
9. **उत्तरपुस्तिकाओं के बण्डल में प्रश्नपत्र अवश्य रखे जायें।**
10. **ऐसे परीक्षा केन्द्र जो स्वकेन्द्र रहे हैं उन पर 50 प्रतिशत कक्ष निरीक्षक प्रत्येक दशा में अन्य महाविद्यालयों के रहेगें।**
11. परीक्षा मे सम्मिलित होने वाले छात्र / छात्राओं को विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित अनुक्रमांक के आरोही क्रम मे बैठाया जायें।
12. परीक्षा कक्ष के आकार को दृष्टिगत रखते हुए कैमरों की संख्या एक कक्ष में न्यूनतम दो व जहॉ कक्ष / हाल का आकार सामान्य से बडा है तो इससे अधिक कैमरे इस प्रकार स्थापित किये जाय। प्रत्येक सी.सी.टी.वी. कैमरे में वायस रिकार्डर लगा होना अनिवार्य है।
13. परीक्षा अवधि की सी.सी.टी.वी. रिकार्डिंग सुरक्षित रखी जाय, आवश्यकता पड़ने पर विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा अवधि के दौरान किसी भी तिथि की एवं किसी भी पॉली की सी.सी.टी.वी. रिकार्डिंग मॉगी जा सकती है, और महाविद्यालय को उक्त रिकार्डिंग उपलब्ध कराना आवश्यक होगा, तथा सी.सी.टी.वी. कैमरे के सामने ही छात्र / छात्राओं की परीक्षा करायी जाय, छात्र / छात्रायें परीक्षा के दौरान ऐसे बैठाये जायें जिससे उनका चेहरा स्पष्ट दिखे।
14. विगत वर्षो में कुछ परीक्षार्थियों द्वारा उत्तर पुस्तिका पर विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित अनुक्रमांक त्रुटिवश या अस्पष्टता के कारण त्रुटिपूर्ण अंकित किये जाने के प्रकरण प्रकाश मे आये हैं। <u>अतः प्रत्येक कक्ष निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि वह परीक्षा भवन में परीक्षार्थियों द्वारा उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ (कवर पेज) पर लिखे गये विवरण को परीक्षार्थी के प्रवेश पत्र से भलीभॉति जॉच कर लें</u>। परीक्षार्थी द्वारा अशुद्ध अथवा अस्पष्ट अनुक्रमांक / विषय / दिनांक आदि अंकित किये जाने के कारण उसका परीक्षाफल अपूर्ण रहा और उसका परीक्षाफल घोषित करने में काफी विलम्ब हुआ।
15. वार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के प्रेषण हेतु विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा इस वर्ष प्रत्येक जनपद मुख्यालय पर दो संकलन केन्द्र बनाये गये है जिस पर उस जनपद में स्थित परीक्षा केन्द्र के निकटतम

क्रमश.........2